न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूका बनाम श्यामसिंह, चरनसिंह, विजयसिंह पि० रूग्गी जाट,

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- RA/26/22 निर्णय दिनाँक :- 13/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गो०चा० में से 0.03 रकबे पर श्री श्यामसिंह चरन, विजयपि० रूग्गी जाट तमाई पर अनाधिकृत रूपे से अतिक्रमण कर पुडा S.M कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूका द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी श्यामसिंह चरन, विजय जाति जाट निवासी रानौता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहि आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.00 में से 0.03 रकबे किस्म गो०चु० तमाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 56 Paise का 50 गुणा 28/- रूपये अट्ठाइस पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूका भू॰अ॰निरी॰ दारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)